



गेल (इंडिया) लिमिटेड
निगमित मानव संसाधन विभाग

परिपत्र

सं. : सीओ/एचआर/पॉल/पी-102

दिनांक : 9 मई, 2008

विषय : सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना में संशोधन

1. डॉक्टरों के परामर्श शुल्क, दवाओं, अस्पताल में भर्ती होने आदि की लागत में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पी आर एम एस) के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय विभिन्न हितलाभों में संशोधन का मामला प्रबंधन के विचाराधीन था।
2. गेल प्रबंधन मौजूदा पी आर एम एस में निम्नलिखित संशोधन/परिशोधन की सहर्ष घोषण करता है :

2.1 पात्रता की शर्त

55 वर्ष की आयु के पश्चात कार्मिक द्वारा समय-पूर्व सेवानिवृत्ति ग्रहण करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा हितलाभ गेल से कार्यमुक्त होने के तुरंत बाद दिए जाएंगे, बशर्ते उसने गेल में न्यूनतम 10 वर्ष सेवा की हो।

2.2 क्षेत्र

सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति के अलावा अधिवर्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त कर्मचारी के पूर्णतः आश्रित बच्चों को भी पी आर एम एस के अनुसार चिकित्सा हितलाभ ग्राह्य होंगे।

2.3 अंतरंग उपचार की सीमा

पैनलबद्ध अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने पर वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परंतु गैर-पैनल अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने पर प्रतिपूर्ति सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली की दरों तक सीमित होगी।

2.4 बाह्य उपचार की सीमा

(क) बाह्य उपचार की सीमा निम्नानुसार होगी, जो वित्त वर्ष 2007-08 से कलेंडर वर्ष के बजाए वित्त वर्ष के आधार पर प्रचालित होगी :

ग्रेड	सीमा (₹. प्रति वर्ष)
सी एम डी/निदेशकगण	30,000
ई-7 से ई-9	20,000
ई-4 से ई-6	15,000
ई-1 से ई-3	10,000
एस-6 से एस-7	5,000
एस-3 से एस-5	4,000
एस-0 से एस-2	3,000

तदनुसार 1 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के संबंध में कलेंडर वर्ष 2007 के लिए हकदारी यथानुपात निर्धारित की जाएगी।

(ख) यदि एक वित्त वर्ष में इस हकदारी का लाभ नहीं उठाया गया है तो उसे अधिकतम अगले वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान न ली गई हकदारी को केवल 31.3.2009 तक बढ़ाया जा सकता है और उसे वित्त वर्ष 2008-09 की हकदारी के साथ मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार आगे भी किया जा सकता है।

(ग) उपर्युक्त सीमा के भीतर 4000/- रूपए प्रति वर्ष तक चश्मे/कांटेक्ट लेंस, सुनने की मशीन (सी एस एम ए नियमों के अंतर्गत लागू सीमा के अनुसार), कृत्रिम दांत

जी.वी.

(5000/- रुपए तक) और 4000/- रुपए तक एक स्वास्थ्य परीक्षण की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

- (घ) बाह्य उपचार की उपयुक्त सीमा तक होमियोपैथी और आयुर्वेदिक उपचारों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी बशर्ते वह कंपनी के गैल चिकित्सा परिचर्या नियमों की सीमा के भीतर हो
- (ड.) अनुबंध-I में उल्लिखित रोग/व्याधि के उपचार के मामले में, जो लंबे समय तक चलने वाले हों, चिकित्सा-उपचार के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति ऊपर पैरा 2.4 (क) में उल्लिखित बाह्य उपचार की सीमा से अधिक परंतु निम्नलिखित सीमा तक की जाएगी :

ग्रेड	रोग के लम्बे उपचार की सीमा(रु./वर्ष)
सी एम डी/निदेशकगण	60,000
ई-7 से ई-9	40,000
ई-4 से ई-6	30,000
ई-1 से ई-3	20,000
एस-6 से एस-7	10,000
एस-3 से एस-5	8,000
एस-0 से एस-2	6,000

2.5 अतिथि गृह सुविधा

सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को दूसरे शहर में उपचार कराने के दौरान अतिथि गृह सुविधा उपलब्ध होगी, बशर्ते उसकी उपलब्धता हो और वे सेवारत कर्मचारियों पर लागू प्रभारों का भुगतान करें।

2.6 सामान्य

- (क) किसी कर्मचारी को होने वाली कठिनाई को दूर करने के विचार से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (मानव संसाधन) अपने विवेक से तथा कारण का उल्लेख करते हुए इनमें से किसी नियम में ढील दे सकते हैं।
- (ख) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (मानव संसाधन) इन नियमों की उपयुक्त व्याख्या संबंधी किसी शंका का स्पष्टीकरण करेंगे और उनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

3. पी आर एम एस के अंतर्गत विभिन्न हितलाभों की ग्राह्यता/ विनियमन संबंधी अन्य नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
4. योजना के किसी या सभी भागों को बिना किसी सूचना के या बिना कारण बताए संशोधित करने, परिशोधित करने, परिवर्तन करने, वृद्धि करने या उसमें से कुछ हटाने के लिए कंपनी का अधिकार सुरक्षित है।
5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

G. Dhanraj
(जे. वासन) 9/5

कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

वितरण :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (मानव संसाधन)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (परि.)/निदेशक (व्या.विकास)/निदेशक (विपणन)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)
3. विभागाध्यक्ष-निगमित कार्यालय/ प्रभारी अधिकारी- कार्यकेन्द्र/जोनल कार्यालय
4. महाप्रबंधक (बी आई एस), नोएडा-एस ए पी - पे रोल माड्यूल में अपेक्षित परिवर्तन कराने के अनुरोध के साथ
5. मानव संसाधन तथा वित्त एवं लेखा प्रभारी कार्यकेन्द्र/जोनल कार्यालय
6. सभी कार्मिक (ई-मेल द्वारा)
7. नोटिस बोर्ड

अनुबंध-I

लंबे समय तक बाह्य उपचार वाले रोग/व्याधियों की सूची

1. ट्यूबरक्यूलोसिस
2. कुष्ठ रोग
3. शीजोफ्रेनिया
4. मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस
5. एक्यूट एंडोजिनस डिप्रेशन
6. कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर
7. कंस्रिक्टिव पेरीकार्डाइटिस
8. प्रिसेनाइल डिमेन्शिया
9. पॉलीन्यूरोपैथी
10. किसी एक हाथ/पैर का लकवा
11. ग्लूकोमा
12. पार्किन्सन्स डिजीज
13. डीप वेन थ्रोम्बोसिस
14. डायबिटीज मेलाइटस
15. उच्च रक्तचाप
16. स्क्लेरेडिमा
17. सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस (एस. एल. ई.)

टिप्पणी :

अन्य कोई रोग, जो उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं है, गेल के प्रमुख, चिकित्सा सेवा से परामर्श करके निदेशक (मानव संसाधन) की अनुमति से शामिल किया जा सकता है।

डि.वी.



**GAIL (INDIA) LIMITED
CORPORATE HR DEPARTMENT**

CIRCULAR

No.CO/HR/Pol/P-102

9th May 2008

Subject : Revision of Post Retirement Medical Scheme

1. The issue of revision of various benefits admissible to superannuated employees in terms of Post Retirement Medical Scheme (PRMS) was under consideration of Management keeping in view substantial increase in cost towards consultation fee of doctors, medicines, hospitalization, etc.
2. GAIL Management is pleased to announce following revisions/ modifications in the existing PRMS:

2.1 Eligibility Condition

In case of pre-mature retirement by employee after attaining the age of 55 years, the post retirement medical benefit may be allowed immediately after relieving from GAIL, subject to rendering minimum 10 years service in GAIL.

2.2 Coverage

In addition to retired employee and his/ her spouse, medical benefits in terms of PRMS will also be admissible to wholly dependent children of superannuated/ retired employees.

2.3 Limit for Indoor Treatment

For indoor treatment in empanelled hospital, reimbursement of medical expenses will be allowed as per actuals. However, if indoor treatment is taken in a non-empanelled hospital, reimbursement would be admissible limited to rates of Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi.

2.4 Limit for Outdoor Treatment

- (a) Ceilings for outdoor treatment will be as under, which will be operated on financial year basis w.e.f. FY 2007-08, as against on calendar year basis:

Grade	Ceiling (Rs. p.a.)
CMD/ Directors	30000
E-7 to E-9	20000
E-4 to E-6	15000
E-1 to E-3	10000
S-6 to S-7	5000
S-3 to S-5	4000
S-0 to S-2	3000

Accordingly, erstwhile entitlement for the Calendar Year 2007 in respect of period from 1st January 2007 to 31st March 2007 will be pro-rated.

- (b) Any unavailed entitlement of one Financial Year may be carried forward for a maximum period till the end of next financial Year. For example, unavailed entitlement of financial year 2007-08 can be carried forward only upto 31.3.2009 and clubbed with entitlement of financial year 2008-09 and so on.

- (c) Reimbursement of Spectacles/ Contact Lenses upto Rs.4000/- p.a., Hearing aids (as per limits applicable under CSMA rules), artificial dentures (upto Rs.5000/-) and one health check-up upto Rs.4000/- may be allowed within the above ceilings.
- (d) Reimbursement of expenses incurred for Homeopathic and Ayurvedic treatments may also be allowed subject to limits of GAIL Medical Attendance rules of the Company within the above ceilings for outdoor treatment.
- (e) In case of treatment of diseases/ ailments mentioned at **Annexure - I**, which are prolonged in nature, reimbursement of expenses for medical treatment may be allowed as per actuals over the ceilings for Outdoor Treatment mentioned at Para – 2.4 (a) above upto the following limits:


Grade	Ceiling for prolonged treatment of diseases (Rs. p.a.)
CMD/ Directors	60000
E-7 to E-9	40000
E-4 to E-6	30000
E-1 to E-3	20000
S-6 to S-7	10000
S-3 to S-5	8000
S-0 to S-2	6000

2.5 Guest House facility

Guest House facility will be available to retired/ superannuated employees during the course of outstation medical treatment, subject to availability and payment of charges as applicable to serving employees.

2.6 General

- (a) CMD/ Director (HR) may relax any of these rules to mitigate hardship caused to any employee at his discretion to be recorded by him.
- (b) CMD/ Director (HR) may clarify any doubt relating to correct interpretation of these rules and his decision would be final and binding.
3. Other terms and conditions of admissibility/ regulation of various benefits under PRMS shall remain unaltered.
4. Company reserves the right to amend, modify, alter, add or delete any or all part of the scheme at any time without any notice or assigning any reason therefor.
5. This issues with the approval of Competent Authority.


(J. Wason)
Executive Director (HR)

Distribution

1. CMD/ Dir.(HR)/ Dir.(Fin.)/ Dir.(Projs.)/ Dir.(BD)/ Dir.(Mktg.)/ CVO
2. Executive Director (F&A)
3. HODs at Corporate Office/ OICs of Work Centres/ Zonal Offices
4. GM (BIS), NOIDA – with a request to effect requisite changes in SAP-Payroll module
5. HR and F&A Incharges of Work Centres/ Zonal Offices
6. All employees (*through e-mail*)
7. Notice Boards

Annexure - I

List of diseases/ ailments requiring prolonged Outdoor treatment

1. Tuberculosis
2. Leprosy
3. Schizophrenia
4. Manic Depressive Psychosis
5. Acute endogenous depression
6. Congestive Heart failure
7. Constrictive Pericarditis
8. Presenile dementia
9. Polyneuropathy
10. Paralysis of a limb
11. Glaucoma
12. Parkinsons Disease
13. Deep vein thrombosis
14. Diabetes Mellitus
15. Hypertension
16. Scleredema
17. Systemic Lupus Erythromatosus (S.L.E.)

Note

Any other disease, not covered in the above list, may be included with the approval of Director (HR) in consultation with Chief of Medical Services of GAIL

